जावक क्रमांक 406
दिनांक 23/4/11

प्ररूप दो
(नियम 8 देखिये)
छत्तीसगढ़ शासन

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

मांक 13607
दिनांक (11.4.1984)

यह प्रमाणित किया जाता है रजिस्ट्रीकृत सोसायटी ...**कृष्णा एजूकेशनल सोसायटी**... ने जो ....**234 जोनल मार्केट सेक्टर–10, भिलाई, जिला दुर्ग**.............. में स्थित है, अपना नाम परिवर्तित कर लिया है और अब .... **कृष्णा एजूकेशन सोसायटी**......... ....**234 जोनल मार्केट सेक्टर–10, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग**.............. के नाम से छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन तारीख.............**23 / 04 / 2011**.................. को रजिस्ट्रीकृत की गई है।

(डी.डी. महन्त)
23/4/11
सोसायटियों के डिप्टी रजिस्ट्रार
सोसायटियों का रजिस्ट्रार

जा. 1015
27/07/13

परिवर्तित पता		43 ए/6 नेहरू नगर, पश्चिम भिलाई जिला दुर्ग
परिवर्तन दिनांक	:	19.7.2013

(डी.डी. महन्त)
समितियों के डिप्टी रजिस्ट्रार

जावक क्रमांक 458
दिनांक 26/4/11

संशोधित ... 23/4/11

पंजीयन क्रमांक 13607
पंजीयन दिनांक 11/4/84
संशोधन दिनांक 23/4/11

नियमावली

1. **संस्था का नाम** : **कृष्णा एजूकेशन सोसायटी**

2. **संस्था का कार्यालय** : 234, जोनल मार्केट, सेक्टर – 10, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

3. **कार्यक्षेत्र** : छत्तीसगढ़

4. **संस्था का उद्देश्य** :

   1. पिछले वर्गो में अनुसूचित जाति / जनजाति के शिक्षा के आधार शिला पर उनके अन्तरनिहित क्षमता का वास करना।

   2. शैक्षणिक गतिविधियों को उत्साहित करना। स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं का प्रबंध करना। निरक्षरता उन्मूलन हेतु प्रोढ शिक्षा का प्रबंध करना।

   3. भारतीय संस्कृति के मूल्यों को स्थापना के लिए एवं शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए सेमिनार व सिम्पोजियम आयोजित करना पुस्तकालयों की स्थापना करना।

   4. सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों को व्यवस्था करना एवं खेलों का आयोजन करना।

5. **सदस्यता :**

   अ. **संरक्षण सदस्य :–** जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रू.1000/= या अधिक एक मुश्त या एक वर्ष बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

   ब. **आजीवन सदस्य :–** जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रू. 500/= या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य होगा। कोई भी आजीवन सदस्य रू. 500/= या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

   स. **साधारण सदस्य :–** जो व्यक्ति रूपये प्रति माह रूपया 60/= प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप मे देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि तक के लिये सदस्य रहेगा जिसके लिये उसने चन्दा दिया है जो साधारण सदस्य बिना सन्तोष जनक कारणों के छः माह तक देय चन्दा नही देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जावेगी। ऐसे सदस्य द्वारा सदस्यता के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

   द. **सम्मानीय सदस्य :–** संस्था की प्रबन्धकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक मे भाग ले सकते हैं, परन्तु उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(एम. एम. त्रिपाठी) (श्री पी. कुमार) (श्रीमती कृष्णा)

क्रमशः –2.

6. **सदस्यता की प्राप्ति :–** प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो, विधिवत रूप से आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबंध कारिणी समिति को प्रस्तुत होगा। जिसकी आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

7. **सदस्यों की योग्यता :–** संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति मे निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :–

   1. आयु 18 वर्ष से कम न हो।
   2. भारतीय नागरिक हो।
   3. समिति के नियमों का पालन की प्रतिज्ञा की हो।
   4. सद् चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

8. **सदस्यता की समाप्ति :–** संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति मे समाप्त हो जावेगी –

   1. मृत्यु हो जाने पर 2. पागल हो जाने पर 3. संस्था को दिये चन्दे की रकम नियम 5 मे बताये अनुसार जमा न करने पर 4. त्याग–पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर
   5. दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर, जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देनी होगी।

9. संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी, जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेगे :–

   1. प्रत्येक सदस्य का नाम तथा पता एवं व्यवसाय। हस्ताक्षर सहित ।
   2. वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नंबर।
   3. वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो।

10. अ. **साधारणसभा :–** साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष मे एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आमसभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजायक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में कराये एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

(एम. एम. त्रिपाठी) (श्री पी. कुमार) (श्रीमती कृष्णा)

ब. **प्रबंधकारिणी सभा :–** प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाना आवश्यक होगी। बैठक मे कोरम 1/2 सदस्यों को होगा। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नही होता है तो बैठक एक घंटे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी।

स. **विशेष बैठक :–** यदि कम से कम कुल संख्या कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक लाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सी बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक का संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. **साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :–**

अ. संस्था के पिछले वर्ष स्थाई निधि व संपत्ति व्यवस्था करना।

ब. संस्था की पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।

स. आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।

द. अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।

इ. संस्था द्वारा संबंधित संस्थाओं के आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।

फ. बजट का अनुमोदन करना।

12. **प्रबंधकारिणी का गठन :–** ट्रस्टोज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम 5)अ, ब, स में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर मे दर्ज हो बैठक मे बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाहन होगा।

अ. अध्यक्ष ब. उपाध्यक्ष स. सचिव द. कोषाध्यक्ष इ. संयुक्त सचिव एवं सदस्य – दो।

13. **प्रबंध समिति का कार्यकाल** – प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि गई प्रबंधकारिणी समिति का निर्णय नियमानुसार अन्य कारणों से नहीं हो जाती, करती रहेगी किन्तु उक्त के लिए साधारण सी सभा का अनुमोदन करना आवश्यक होगा जिसका अवधि 6 माह से ज्यादा नहीं बढ़ायी जावेगी।

(एम. एम. त्रिपाठी) (श्री पी. कुमार) (श्रीमती कृष्णा)

14. **प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :-**

अ. जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उनकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

ब. पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रपति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक मे प्रस्तुत करना।

स. समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल अचल वार्षिक सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

द. कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

इ. अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय - समय पर सौंपे जाए।

च. संस्था की समस्त चल अचल संपत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

छ. संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रार को लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित नहीं की जाएगी।

ज. विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा मे कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

15. **अध्यक्ष के अधिकार :-** अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा मे प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात होगा।

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार :-** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

17. **सचिव मंत्री के अधिकार :-**

1. साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय - समय पर बुलाया और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।
2. समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।
3. समिति के सारे कागजातो को तैयार करना तथा उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।
4. सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रूपये 500=00 खर्च करने का अधिकार होगा।

(एम. एम. त्रिपाठी) **(श्री पी. कुमार)** **(श्रीमती कृष्णा)**

क्रमशः -5.

कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाऐं, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–एक, तृतीय तल, अटल नगर, नवा रायपुर

(Telephone - 0771-2282549, helpline - 0771-2511594, email - rfs.cg@gov.in, website - rfas.cg.nic.in)

क्रमांक / रि.–13607 / 1984 / 49 / 24 नवा रायपुर, दिनांक 04/04/2024

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव
कृष्णा एजुकेशन सोसाइटी
पता– 43ए / 6, नेहरु नगर पश्चिम भिलाई
जिला– दुर्ग (छ.ग.)

विषयः–छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) की धारा–27 के अधीन कार्यकारिणी की प्रमाणित प्रतिलिपि बाबत्।

संदर्भः–आपकी ओर प्रस्तुत प्रस्ताव प्राप्त दिनांक 05.03.2024

––00––

संस्था कृष्णा एजुकेशन सोसाइटी जिला दुर्ग (छ.ग.), छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) के तहत् पंजीयन क्रमांक–13607 दिनांक 11.04.1984 द्वारा पंजीकृत है, जिस पर उक्त अधिनियम के समस्त प्रावधान प्रभावशील होते हैं।

संस्था द्वारा दिनांक 01.03.2024 को आयोजित आमसभा के बैठक की जानकारी नियत प्रपत्र पर इस कार्यालय में दिनांक 05.03.2024 को फायलिंग शुल्क रूपये 4000 / – चालान क्रमांक– 136522518 दिनांक 23.02.2024, को जमा कर प्रस्तुत करते हुए सूची प्रदाय करने हेतु धारा–27 के अधीन रूपये 80 / –चालान क्रमांक– 186239979, दिनांक 19.03.2024 जमा कर प्रस्तुत किया गया है। संस्था में कोई वाद विवाद नही होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः संस्था द्वारा प्रस्तुत सूची को धारा–27 के अधीन दिनांक 04.04.2024 को रिकार्ड पर लिया गया है। जिसमें कार्यकारिणी पदाधिकारियों / सदस्यों के निम्नानुसार नामों का उल्लेख किया गया हैः–

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	पदनाम
01	श्री मदन मोहन त्रिपाठी	अध्यक्ष
02	श्री आनन्द कुमार त्रिपाठी	उपाध्यक्ष
03	श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी	सचिव
04	श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा	कोषाध्यक्ष
05	श्रीमती स्नेहलता त्रिपाठी	संयुक्त सचिव
06	श्रीमती कुंजलता त्रिपाठी	सदस्य
07	श्रीमती कृष्णा त्रिपाठी	सदस्य

अतः एतद् द्वारा आज दिनांक 04.04.2024 को प्रमाणित प्रतिलिपि जारी की जाती है।

4/4/2024

(अनुपमा कुजूर)
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाऐं, छत्तीसगढ

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

22AA 549922

संस्था:- कृष्णा एजुकेशन सोसायटी दुर्ग

पं.क्र. 13607 दिनाँक 11/04/1984

सूची हेतु

4/4/2024

(अनुपमा कुजूर)

समितियों के असिस्टेंट रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़

क्रमांक 3819 दिनांक 19/3/2024 संख्या 1 किम्मत 101/

नाम..

साकिन.................. तहसील व जिला–दुर्ग (छ.ग.)

द्वितीय पक्ष..

....

वास्ते..

हस्ते..

किम्मत 101/..................

(पी.एस. लाल)

स्टाम्प वेण्डर

नगर निगम परिसर, सुपेला, भिलाई (छ.ग)

हस्ताक्षर क्रेता

DISTRICT TREASURY
DURG (C.G.)
13 MAR 2024
Assistant Treasury Officer
DURG (C.G.)